

भाग III

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 6 दिसम्बर, 2013

संख्या का०आ० 103/ह०अ० 6/2003/धा० 7/2013.—हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम 6), की धारा 7 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) के द्वितीय परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 56/ह०अ० 6/2003/धा० 7/2003, दिनांक 7 अप्रैल, 2003 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 56/ह०अ० 6/2003/धा० 7/2003, दिनांक 7 अप्रैल, 2003 में, क्रम संख्या 5 तथा उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जायेगा।

हरदीप कुमार,

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,

आबकारी तथा कराधान विभाग।